न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 53 / 2023   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023 / 186**
दायर दिनांक :— 17.05.2023   **निर्णय दिनांक :— 30.10.2024**

1. हीराराम पुत्र भीखाराम जाति नाई निवासी रावरा तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

प्रतिवादी........

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः— 1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम रावरा पटवार क्षेत्र सांवरागांव तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 77 वर्तमान खसरा नम्बर 321 / 77 रकबा 84.7006 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जायेगा। वर्तमान जमाबंदी संलग्न वाद पेश है। तहसील एडवाईजरी कमेटी द्वारा ग्राम कानासर में भूमि आंवटन बाबत कैम्प रखा गया और दिनांक 10 / 09 / 1968 को उक्त कमेटी द्वारा ग्राम रावरा पटवार क्षेत्र सांवरागांव तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 77 वर्तमान खसरा नम्बर 321 / 77 रकबा 84.7006 हैक्टेयर में से रकबा 45—00 बीघा काश्त भूमि वादी को आवंटित की गई और वादी ने नियमानुसार आंवटन शुल्क भी अदा कर दिया था और उसी दिन तहसीलदार फलोदी द्वारा मिसल नम्बर 255 / 68 कायम कर वादी को आंवटन आदेश की प्रति सुपुर्द की और पटवारी हल्का ने उसी दिन मौके पर चल कर वादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया और अवंटन कमेटी ने पटवारी हल्का को माफिक आंवटन वादी के पक्ष में नामान्तरकाण भरने हेतु तहरीर जारी करदी थी और मौके पर वादी ने अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांके इत्यादि बना रखे है तथा वादी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है और वादी का आज दिन तक उक्त भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है एवं वादी वादग्रस्त भूमि पर काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहा है। इसलिये वादी ग्राम रावरा [illegible] जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 77 वर्तमान खसरा नम्बर 321 / 77 रकबा 84.7006 है[illegible] में [illegible]कबा 45—00 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है जिसका य[illegible] पेश है। तहसील एडवाईजरी कमेटी द्वारा वादी को भूमि आंवटन कर [illegible] में रहा कि पटवारी हल्का ने माफिक आंवटन उक्त भूमि मेरे नाम दर्ज करदी है लेकिन पटवारी हल्का ने बिना किसी आधार के माफिक आंवटन उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं की है जिससे वादी को भंयकर नुकसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:23:08 IST
Reason: SelfAttested

30.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हुआ है तथा वर्तमान में अभी वादी को उक्त भूमि अपने नाम दर्ज नहीं होने से भयंकर समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी ग्राम रावरा पटवार क्षेत्र सांवरागांव तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 77 वर्तमान खसरा नम्बर 321/77 रकबा 84.7006 हैक्टेयर में से रकबा 45-00 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि वादी द्वारा मकान, बाड़ा, तारबन्दी व धोरापाली द्वारा कब्जा किया हुआ है। जिसकी अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित है। मौका रिपोर्ट संलग्न है। वादी को उक्त भूमि दिनांक 10.09.1968 को आवंटित हुई थी, जिसके मिसल नम्बर 255/68 है। आराजी राजकीय भूमि है अतः राजस्व अभिलेख में बिना किसी आदेश के इन्द्राज नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध होने से तनकीयात कायम की गई। वादी हीराराम ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया। वादी के बयान पी डब्लू-1 कलमबद्ध किये गये, पड़ोसी खातेदार जेठी ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू-2 कलमबद्ध किये किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आवंटन आदेश, वर्तमान जमाबंदी, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रावरा पटवार क्षेत्र सांवरा गांव तहसील बाप के खसरा नंबर 77 वर्तमान खसरा नम्बर 321/77 रकबा 84.7006 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त मूल खसरा नम्बर 77 में से 45.00 बीघा भूमि तहसीलदार फलोदी के आवंटन आदेश मिसल नम्बर 255/68 दिनांक 10.09.1968 के जरिये वादी को आवंटित हुई। तहसीलदार बाप की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादी द्वारा मकान, बाड़ा, तारबंदी व धोरापाली द्वारा कब्जा किया हुआ है। जिसकी अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित है। वादी वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने उचित नहीं है। वादी का वाद दस्तावेजात से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:23:08 IST
Reason: SelfAttested

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. हीराराम पुत्र भीखाराम जाति नाई निवासी रावरा तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

प्रतिवादी........

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 53 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.10.2024 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

30.10.24

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये [illegible] हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:23:08 IST
Reason: SelfAttested